भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 163

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में पीएमएवाई-यू 2.0

†*163. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने हाल ही में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत 3.52 लाख आवासों को मंजूरी दी है और यदि हां, तो कितने आवास, शहरों को शामिल किया गया है और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए कितनी केन्द्रीय निधि की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है;

(ख) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) चरण-। और ।। के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कुल कितनी केन्द्रीय निधि जारी की गई है, कितने आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में कितने पूर्ण हो चुके आवास खाली पड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार को अमरावती लैंड-पूलिंग किसानों को पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत अथवा विशेष आवास श्रेणी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के रूप में शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'आंध्र प्रदेश में पीएमएवाई-यू 2.0' के विषय में दिनांक 30.07.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत, देश-भर में आयोजित केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की विभिन्न बैठकों में 23,383 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ कुल 16.20 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 61,084 अनुमोदित आवासों के निर्माण के लिए 882.32 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल है। इनमें से, हाल में दिनांक 17.06.2026 को हुई केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में कुल 2.12 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई, इस दौरान आंध्र प्रदेश के 107 शहरों में 12,370 आवासों के लिए 185.55 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 19.07 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 3.71 लाख ऐसे आवास हैं जिसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। निर्माणाधीन 15.36 लाख आवासों में से अब तक कुल 11.38 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 10.75 लाख आवास लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 61,084 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 43,947 आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। इनमें से 1,980 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

(ग): पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत चिह्नित विशेष फोकस समूह के पात्र लाभार्थियों, अर्थात् पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं, सफाई कर्मियों, प्रधान मंत्री-विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों, स्लमों/चालों के निवासियों आदि को प्राथमिकता दी गई है। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत भूमि पूलिंग करने वाले किसान विशेष फोकस समूह में शामिल नहीं हैं।
